

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद-सुल्तानपुर के सुल्तानपुर-बलिया मार्ग एस0एच0-34 के किमी0 164-165 के मध्य बांयी पटरी पर स्थित गाटा सं0-46, ग्राम-गोदलपुर, परगना-अल्देमऊ, तहसील-जयसिंहपुर, जिला-सुल्तानपुर पर विकसित किये जा रहे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 के रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.075028 हे0 संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 05 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0-एफपी/यूपी/अदर्स/25175/2017)

राज्य सरकार की सिफारिशें-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के

शासनादेश-2564/81-2-2021-800(45)/2019 दिनांक 02 मार्च

फरवरी, 2021 के द्वारा प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत ।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

02.03.2021

हस्ताक्षर

(फतिम)

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

(आशीष तिवारी)

विशेष सचिव

पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन विभाग

उत्तर प्रदेश शासन।